सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 603 राँची, मंगलवार, **28 आषाढ़, 1938 (श०)**

19 जुलाई, 2016 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

19 जुलाई, 2016

विषय- माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर **Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 ,oa Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No.337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S. Sharma & Ors** में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2011 एवं दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक 24 अगस्त, 2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में ।**

संख्या-412--झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित वाद **(Civil Appeal No.-72/1994)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने तथा बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के संबंध में समझौता हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा 62(3) के उपबंधों के अध्याधीन अधिसूचना संख्या-1127, दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 एवं अधिसूचना

संख्या-54, दिनांक 14 जनवरी, 2004 द्वारा दिनांक 30 जून, 2004 के प्रभाव से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन एवं दोनों राज्यों के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारा संबंधी शत्र्तों एवं प्रावधानों को इंगित किया गया है । इसी प्रसंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) श्री सगीर अहमद की अध्यक्षता में गठित विवाचक समिति (Arbitration committee) के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो उभय पक्षों को मान्य था। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-7290/94 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त, 2008 में विवाचक समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें सन्निहित अनुशंसाओं को यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय, में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 में दिनांक 24 अगस्त, 2011 को पारित न्यायादेश में अंकित है कि **In paragraph 9 of the report, it averred as under "9. It is stated and submitted that all the employees have been getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due"**

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand, have been duly absorbed in the service of the State Government there".

इस निर्णयादेश के क्रम में राज्य सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक Modification Application I.A. No.- 32/2012 दायर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 को पारित आदेश से निरस्त कर दिया गया । दिनांक 24 अगस्त, 2011 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण Jharkhand State Road Transport Employees Association तथा अन्य कर्मियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-203/2012, 229/2013, 359/2013 एवं 431/2013 दायर किये गये। सभी अवमाननावादों को पूर्व से Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P(Civil) No.-337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S.Sharma & Ors के साथ सम्मिलित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है-"**It is not in dispute that the Petitioners have been absorbed with effect from 24th August 2011 and their dues have been paid and in some of the instances is in the process of being paid keeping the date of absorption in mind** "

उक्त आदेश के साथ सभी Contempt Petitions एवं I.A. को निरस्त कर दिया गया ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावादों तथा दिनांक 24 अगस्त, 2011 को पारित आदेश को दृष्टिपथ में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा निगम कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजित करने की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए विभिन्न संकल्पों/आदेशों के माध्यम से विभिन्न चरणों में यह कार्रवाई पूर्ण की गई है, जिसका विवरण निम्नरूपेण है -

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से सेवा प्राप्त कुल 1124 कर्मियों में से दिनांक 24 अगस्त, 2011 को झारखण्ड राज्य में 791 कर्मी कार्यरत थे । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में कार्यरत सभी 791 कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में परिवहन विभाग के निम्नांकित विभिन्न संकल्पों/आदेशों द्वारा निम्न रूपेण समायोजित किया गया है -

(क) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-20 मई, 2013 मे लिए गये निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-598 दिनांक 6 जून, 2013 सह-गजट संख्या-362 दिनांक 7 जून, 2013 द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2013 को कार्यरत 609 कर्मियों की नियुक्ति(समायोजन) हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए राज्य सरकार की सेवा में रिक्त पदों के लिए विहित अहर्ता यथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले कुल 340 कर्मियों को विभिन्न विभागों/कार्यालयों में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-127-133 दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा नियुक्ति (समायोजित) किया गया ।

(ख) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-25 अगस्त, 2014 में लिए गये निर्णय के आलोक में असमायोजित वैसे निगम कर्मियों जो विहित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते थे उनके मामले में विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित उम्र को शिथिल करने का निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग द्वारा संकल्प संख्या-714, दिनांक 27 अगस्त, 2014, सह-गजट संख्या-406, दिनांक 28 अगस्त, 2014 निर्गत किया गया। इस संकल्प के आलोक में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-104, दिनांक 29 अगस्त, 2014 एवं आदेश संख्या-105, दिनांक 1 सितम्बर, 2014 द्वारा कुल 204 कर्मियों की नियुक्ति (समायोजन) किया गया ।

(ग) पुनः श्री तपेश कुमार सिंह, Standing Counsel, Hon'ble Supreme Court से प्राप्त मंतव्य के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-132, दिनांक-14 फरवरी, 2015 सह-गजट संख्या-94, दिनांक-18 फरवरी, 2015 द्वारा विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित उम्र को आवश्यकतानुसार क्षान्त करते हुए दिनांक 24 अगस्त, 2011 को निगम में कार्यरत कुल 248

कर्मियों को सेवानिवृति के उपरांत भी राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति(समायोजन) की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2015 में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 248 कर्मियों को 24 अगस्त, 2011 की तिथि से समायोजित किया गया ।

3. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 3 मार्च, 2015 में घटनोत्तर स्वीकृति हेतु लिये गये निर्णय में यह अंकित किया गया है कि ''माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय में सन्निहित निदेर्शो को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। चूंकि यह मामला समायोजन का है, न कि नई नियुक्ति का, अतः संबंधित कर्मियों को सेवा में समायोजित करते हुए अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।''

उक्त निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-273, दिनांक 9 मार्च, 2015 सह-गजट संख्या-158, दिनांक-12 मार्च, 2015 द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों के नियुक्ति(समायोजन) हेतु निर्गत सभी पूर्व संकल्पों के आलोक में निर्गत तत्संबंधी कार्यालय आदेशों में निर्गत **''नियुक्ति''** संबंधी शब्द को विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा सभी कर्मी को सेवा में ''समायोजित'' समझे जाने एवं इनके अनुमान्य वेतनादि अन्य लाभों के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मंत्रिपरिषद के उक्त निर्णय के आलोक में पुनः संकल्प संख्या-480, दिनांक 4 अप्रैल, 2016 द्वारा परिवहन विभाग के पूर्व निर्गत संकल्प गजट संख्या-362, दिनांक 7 जून, 2013 एवं संकल्प गजट संख्या-406, दिनांक 28 अगस्त, 2014 के द्वारा समायोजित कर्मी भी दिनांक 24 अगस्त, 2011 **से ही राज्य सरकार की सेवा में समायोजित समझे जायेंगे** संबंधी निर्णय लिया गया है ।

4. इस प्रकार परिवहन विभाग द्वारा अबतक निर्गत संकल्पों के आलोक में दिनांक 24 अगस्त, 2011 से उस समय कार्यरत सभी 791 निगम कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजित मान लिया गया है एवं इनके अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों के भुगतान किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, परन्तु दिनांक 24 अगस्त, 2011 को इन्हें देय वेतनमान एवं समायोजन के पश्चात् देय सेवानिवृति लाभों के भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्णय/आदेश संसूचित नहीं किया जा सका है। इस हेतु विभिन्न जिलों/कार्यालयों से स्पष्ट दिशा-निर्देश/मार्ग दर्शन की मांग परिवहन विभाग से की जा रही है। इस आलोक में दिनांक 24 अगस्त, 2011 से समायोजित कर्मियों को देय वेतनमान/सेवानिवृति लाभ इत्यादि के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है ।

5. निगम कर्मियों के समायोजन के संबंध में निर्गत प्रथम संकल्प संख्या-598, दिनांक 6 जून, 2013 सह-गजट संख्या-362, दिनांक 6 जून, 2013 में निम्नांकित निर्णय लिये गये थे -

(संकल्प की कण्डिका-10) - सभी समायोजित कर्मी नयी पेंशन योजना (NPS) जो दिसंबर, 2004 से प्रभावी है, से आच्छादित होंगे। समायोजन के पूर्व अवधि के एवज में क्या-क्या सेवानिवृति लाभ देय होंगे इसके लिए अलग से वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाएगा ।

(संकल्प की कण्डिका-11) - उल्लेखित कर्मियों का समायोजन संकल्प निर्गत तिथि के उपरांत संबंधित कर्मियों द्वारा संबंधित विभाग/कार्यालय में योगदान की तिथि से प्रभावी होगा।

(संकल्प की कण्डिका-12) - उल्लेखित कर्मियों के समायोजन के उपरांत संबंधित कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भांति वेतन भत्ते एवं अन्यान्य सुविधायें देय होगी । संबंधित कर्मियों का राज्य सरकार में सेवा समायोजित हो जाने पर वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा देय पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण तथा निर्धारण कर वेतन भुगतान किया जाएगा। पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ समायोजित पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा ।

द्वितीय संकल्प संख्या-714, दिनांक 27 अगस्त, 2014, सह-गजट संख्या-406, दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा समायोजन हेतु निर्धारित विहित शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र को शिथिल करने का निर्णय लिया गया ।

तृतीय संकल्प संख्या-132, दिनांक 14 फरवरी, 2015, सह-गजट संख्या-94, दिनांक 18 फरवरी, 2015 द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2011 से 248 सेवानिवृति/मृत कर्मियों को समायोजित कर राज्य सरकार के कर्मियों की भांति वेतन भत्ते एवं अन्यान्य सुविधायें दिनांक 24 अगस्त, 2011 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया ।

चतुर्थ संकल्प संख्या-273, दिनांक 9 मार्च, 2015, सह-गजट संख्या-158, दिनांक-12 मार्च, 2015 द्वारा सभी संकल्पों/आदेशों में निर्गत नियुक्ति शब्द को विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा सभी कर्मी को सेवा में समायोजित समझे जाने एवं अनुमान्य वेतनादि लाभों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया ।

पंचम संकल्प संख्या-480, दिनांक 4 अप्रैल, 2016 द्वारा सभी समायोजित कर्मियों को दिनांक 24 अगस्त, 2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित समझे जाने का निर्णय लिया गया है ।

इस प्रकार सभी समायोजित कर्मी को राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 24 अगस्त, 2011 से समायोजित कर लिया गया है एवं इस तिथि से इन्हें अनुमान्य वेतनादि लाभों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।

6. उपरोक्त के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एएवं Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No.337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S. Sharma & Ors में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24 अगस्त, 2011 एवं दिनांक 7 अप्रैल, 2015 को पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक 24 अगस्त, 2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये है -

I. दिनांक 24 अगस्त, 2011 से निगम कर्मियों के समायोजन की स्वीकृति के आलोक में दिनांक-24 अगस्त, 2011 को राज्य सरकार के कर्मियों को देय वेतनमान (छठे वेतनमान) के अनुसार समायोजित पद के विरूद्ध देय वेतन का भुगतान किया जायेगा। ऐसे मामलों में जिसमें समायोजन के पश्चात् कर्मी को देय वेतन समायोजन के पूर्व निगम कर्मी के रूप में कर्मी को प्राप्त वेतन से कम हो, वहाँ पर वेतन संरक्षण(Pay Protection) का लाभ दिया जायेगा ।

II. दिनांक 24 अगस्त, 2011 को समायोजन के फलस्वरूप देय अंतर की राशि का भुगतान समायोजित कर्मियों को समायोजन की तिथि (दिनांक 24 अगस्त, 2011) के प्रभाव से किया जाएगा । अंतर की राशि की भुगतान के क्रम में पूर्व में संबंधित कर्मी द्वारा लिये गये अधिक या कम वेतनादि को सांमजित (Adjust) कर लिया जाएगा ।

III. दिनांक 24 अगस्त, 2011 से समायोजन के उपरांत इन कर्मियों को भविष्य में राज्य सरकार के कर्मियों की भांति वेतन-भत्ते एवं अन्यान्य सुविधाऐं देय होगी ।

IV. समायोजन की तिथि 24 अगस्त, 2011 को राज्य सरकार में New Pension Scheme (NPS) लागू है, जिसमें उपादान का प्रावधान नहीं है ।

V. निगम के सेवाकाल में संबंधित कर्मी द्वारा CPF में अंशदान की गई राशि को अनुमान्य देयता के अनुसार संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-प्रमण्डलीय प्रबंधक द्वारा किया जाएगा । समायोजन के उपरान्त NPS के अन्तर्गत संबंधित कर्मी द्वारा किये गये अंशदान के आधार पर राशि का भुगतान NPS के नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

VI. समायोजन की तिथि 24 अगस्त, 2011 के उपरान्त उपार्जित अवकाश अधिकतम 300 दिवस के समतुल्य राशि का भुगतान राज्य कर्मी के रूप में नियमानुसार किया जायेगा ।

VII. वैसे कर्मी जो दिनांक 24 अगस्त, 2011 से सरकार की सेवा में समायोजित हो गये परन्तु अपने सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि तक पदस्थापन स्थल पर योगदान नहीं कर सके, उनको देय राशि का भुगतान संबंधित प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-प्रमण्डलीय प्रबंधक के द्वारा किया जायगा, जहाँ पर वह निगम कर्मी के रूप में कार्यरत थे । ऐसे कर्मी जिन्होंने समायोजन के पश्चात् पदस्थापन स्थल पर योगदान किया हो, उन्हें देय राशि का भुगतान संबंधित पदस्थापन विभाग/कार्यालय के द्वारा किया जाएगा ।

7. उक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 28 जून, 2016 को मद संख्या-04 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के.के.खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 603–50 ।